अपीलीय अधिकरण कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 40/2022 (वरिष्ठ नागरिक अपील)

1. श्रीमती कमलेश शर्मा पत्नी श्री सुरेश शर्मा निवासी 131, ग्राउण्ड फ्लोर, शान्ति नगर, निर्माण नगर, श्याम नगर थाने के पास, जयपुर ।

अपीलार्थी

बनाम

1. पंकज शर्मा पुत्र श्री सुरेश शर्मा
2. स्मिता शर्मा पत्नी श्री पंकज शर्मा

निवासी 131, फस्ट फ्लोर, शान्ति नगर, निर्माण नगर, श्याम नगर थाने के पास, जयपुर ।

प्रत्यर्थीगण

अपील अन्तर्गत धारा 16 माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम–2007 विरूद्व आदेश दिनांक 10.11.2022 माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिकरण एवं उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम के प्रकरण संख्या 37/2022 व उनवानी श्रीमती कमलेश शर्मा बनाम पंकज शर्मा

उपस्थितः–

1. अपीलान्ट स्वयं उपस्थित है।
2. प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 स्वयं उपस्थित है।

निर्णय **दिनांक 27.02.2023**

1. संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण एवं कल्याण अधिकरण एवं उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम के प्रकरण संख्या 37/2022 व उनवानी श्रीमती कमलेश शर्मा वनाम पंकज शर्मा में पारित निर्णय दिनांक 10.11.2022 से व्यथित हो कर यह अपील प्रस्तुत की गई है।
2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थीगण को नोटिस जारी किये गये। प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 स्वयं उपस्थित है। अधीनस्थ अधिकरण से मिसल मातहत तलब की गई। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।
4. अपीलार्थी ने दौराने बहस अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अपीलार्थिया 62 वर्षीय वृद्व व वरिष्ठ नागरिक है और राजस्थान की निवासी है और मकान नं. 131, ग्राउण्ड फ्लोर, शान्ति नगर, निर्माण नगर, श्याम नगर थाने के पास, जयपुर पर निवास कर रही है। प्रत्यर्थीगण अपीलार्थिया के सौतेले पुत्र एवं पुत्रवधु है। प्रत्यर्थीगण व अपीलार्थिया एक ही पते पर निवास करते है। प्रत्यर्थीगण अपने पुत्र व पुत्रवधु धर्म का लेशमात्र भी पालना नहीं कर रहे और अपीलार्थिया की सेवा सुश्रषा तो दूर अपीलार्थिया को हर प्रकार से हैरान व परेशान करने पर उतारू है । अपीलर्थिया का

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

जीवन नरक कर रखा है। प्रत्यर्थीगण ने अपनी वृद्व व वरिष्ठ नागरिक माता अपीलार्थिया को हर प्रकार से हैरान व परेशान करने हेतु प्रयासरत है और अपीलार्थिया को परेशान करने में कोई कसर नहीं छोडते है। ,इसी से हैरान व परेशान होकर प्रार्थिया ने अधिनियम 2007 के तहत एक प्रार्थना पत्र अधीनस्थ अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसमें अपीलार्थिया ने प्रत्यर्थीगण के विरूद्व तत्काल प्रोटेक्शन दिलवाये जाने की प्रार्थना की और छत पर रखी पानी की टंकियों से आबाद रूप से दैनिक आवयश्यकता हेतु पानी की सप्लाई करने व पानी की सप्लाई को जो अवरूद्व कर रखा है, उसे तत्काल चालू करने, पानी की टंकियों से पानी निकालने व अन्तरिम अनुतोष में छत पर लगे टाटा स्काई डिश को व्यवस्थित रूप से दुरूस्त करने व पानी की सप्लाई करने हेतु व प्रत्यर्थीगण को अपीलार्थी के मालिकाना कब्जे शुदा परिसर के उपयोग व उपभोग में बाधा व अडचन नहीं डालने व अपीलार्थिया को बेदखल नहीं करने व अपीलार्थिया ने पानी बिजली के खर्चा की मांग व अन्य अनुतोष जो मुफीद अपीलार्थिया हो, दिलवाये जाने की मांग की थी। अपीलार्थिया के प्रार्थना पत्र का जबाब प्रत्यर्थीगण द्वारा पेश किया और प्रत्यर्थीगण ने अपीलार्थिया के पति से 125 सी आर पी सी में घरेलू हिंसा में भरण पोषण की राशि प्राप्त करने व प्रत्यर्थीगण व अपीलार्थिया के कभी साथ नहीं रहने व मकान नम्बर 131 नाबालिग जलज व आर्यन के नाम होने तथा साजिस के तहत अपीलार्थिया का सुरेश शर्मा के साथ विवाह करने व अपीलार्थिया के आदतन होने व अपीलार्थिया के न्यायिक अभिरक्षा में होने व दीगर आवास उपलब्ध करवाने का आदेश होने इत्यादि की मिथ्या जबाब देही की गयी है। अपीलार्थिया ने प्रत्यर्थीगण के जबाब का जबाबउल जबाब प्रस्तुत किया तत्पश्चात अपीलार्थिया व प्रत्यर्थीगण को सुन कर अधीनस्थ अधिकरण ने दिनांक 10.11.2022 को आदेश पारित करते हुये भरण पोषण व कल्याण अधिनियम के प्रार्थना पत्र को सारहीन होने से अस्वीकार कर खारिज कर दिया जिसके विरूद्व यह अपील प्रस्तुत है। अधीनस्थ अधिकरण ने इस तथ्य पर कोई गौर नहीं किया कि अपीलार्थिया व प्रत्यर्थीगण वर्तमान में मकान नम्बर 131, शान्ति नगर, निर्माण नगर, श्याम नगर थाने के पास में निवास कर रहे है और अपीलार्थिया प्रत्यर्थीगण की सौतेली मॉ है । प्रत्यर्थीगण, अपीलार्थिया के पति श्री सुरेश शर्मा के पुत्र हैं और अपीलार्थिया व प्रत्यर्थीगण के पिता का विवाह दिनांक 11.05.2014 को पारिवारिक समारोह में हुआ, लेकिन अधीनस्थ अधिकरण ने इस तथ्य पर कोई गौर नहीं किया और सरसरी तौर पर प्रार्थना पत्र खारिज करने में भारी व अहम भूल की है। अधीनस्थ अधिकरण ने अपीलार्थिया के अभिवचनों की पूर्णतया अनदेखी करते हुये प्रत्यर्थीगण द्वारा किये गये झूंठे व अधारहीन तथ्यों को सही मानकर आक्षेपित आदेश पारित करने में भारी व अहम भूल की है । मकान नम्बर 131 का दिखावटी व नुमायशी उपहार पत्र अपीलार्थिया के पति द्वारा प्रत्यर्थीगण के पुत्र एवं पुत्री को किया गया है, वह भी नितान्त बदनियतिपूर्ण व मिन अपीलार्थिया को सम्पत्ति से महरूम करने की गर्ज से किया गया है। अपीलार्थिया ने तथाकथित उपहार पत्र को प्रकरण में चैलेन्ज नहीं किया है और ना ही प्रत्यर्थीगण से कोई भरण पोषण की ही मांग की है। अपीलार्थिया ने केवल छत पर रखी पानी की टंकी से कनेक्शन नीचे की मंजिल हेतु बहाल करने व टाटा स्काई डिश को व्यवस्थित व दुरूस्त करने व प्रत्यर्थीगण को अपीलार्थिया को मकान नम्बर 131 के शान्ति पूर्वक उपयोग उपभोग में बाधा नहीं डालने व जबरन बेदखल नहीं करने हेतु अनुतोष चाहा था, जिसके सम्बन्ध में अधीनस्थ अधिकरण ने सम्पूर्ण आदेश में कोई फाईडिंग नही दी है और नितान्त एक तरफा व आधारहीन तथ्य दर्शित करते हुये आक्षेपित आदेश पारित किया है। अधीनस्थ अधिकरण ने अपने आदेश में यह निर्णित किया है कि अपीलार्थिया को घरेलु हिंसा व धारा 125 व पेन्शन इत्यादि प्राप्त हो रही है और अपीलार्थिया की

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

आर्थिक स्थिति अच्छी है । जबकि अपीलार्थिया ने प्रत्यर्थीगण से कोई भरण पोषण राशि की मांग नही की है, केवल बिजली पानी के बिलो की राशि की मांग की है व अपीलार्थिया के कल्याण हेतु, दैनिक पानी के उपयोग हेतु छत पर रखी टंकियों से आवाह करने से पानी लेने का अनुतोष चाहा है । जिस पर अधीनस्थ अधिकरण ने कोई निर्णय नही दिया और सरसरी तौर पर प्रार्थना पत्र अपीलार्थिया खारिज करने में भारी व अहम भूल की है। अधीनस्थ अधिकरण ने अपीलार्थिया के विरूद्ध लम्बित मुकदमों में अपीलार्थिया के सौतेले पौत्रों जलज–आर्यन को पक्षकार नहीं बनाने व उनका मकान का मालिक होने का कथन करते हुये आक्षेपित आदेश पारित किया है जबकी अपीलार्थिया अपने सौतेले पुत्र व पुत्रवधु के विरूद्ध जो कि मकान नम्बर 131, के ऊपर की मंजिल पर काबिज है, के विरूद्ध प्रार्थना पत्र में वर्णितानुसार अनुतोष चाहा है जिसको कतई कन्सीडर नही कर अधीनस्थ अधिकरण ने आक्षेपित आदेश पारित करने में भारी व अहम भूल की है। नाबालिग को पक्षकार बनाना अधिनयम 2007 के तहत कतई आवश्यक नहीं है । अधिनियम 2007 के तहत केवल और केवल संक्षिप्त कार्यवाही में ही आवेदन का निपटारा किया जाना होता है लेकिन अधीनस्थ अधिकरण ने अपीलार्थिया के कथनों को पूर्णतया नजर अंदाज कर और प्रत्यर्थीगण के बनावटी व मिथ्या अभिवचनों को सत्य मान कर भारी व अहम भूल की है, इसलिए आक्षेपित आदेश अपास्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ अधिकरण ने इस महत्वपूर्ण स्वीकृत तथ्यों को पूर्णतया नजर अन्दाज कर दिया कि अपीलार्थिया प्रथम तो वरिष्ठ नागरिक है, प्रत्यर्थीगण अपीलार्थिया के सौतेले पुत्र एवं पुत्रवधु है। दूसरा, अपीलार्थिया मकान नम्बर 131 में निवास कर रही है अपीलार्थिया प्रत्यर्थीगण के पिता की पत्नी है और इन्ही सब आधारों पर अधिनियम 2007 के तहत अपीलार्थिया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का कानूनन व इन्साफन पूर्णतया पोषणीय था, लेकिन फिर भी अधिनियम 2007 के तहत कन्सीडर नहीं किये जा सकने वाले इतर आधारों को मान कर अधीनस्थ अधिकरण ने आक्षेपित आदेश पारित करने में भारी व अहम भूल की है। अधीनस्थ अधिकरण ने महिला उत्पीडन न्यायालय के आदेश दिनांक 28.01.2021 के तहत प्रकरण के सब ज्यूडिस होने और मकान नम्बर 131 में प्रार्थिया को निवास अवैधानिक निर्णित करने में भारी भूल की है। अपीलार्थिया मकान नम्बर 131 में कोई जबरन काबिज नहीं है, बल्कि अपीलार्थिया सुरेश शर्मा की पत्नी होने व उनके पुत्र व पुत्रवधु प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 की सास होने के नाते काबिज है और विधि का यह सुस्पष्ट सिद्धान्त है कि किसी व्यक्ति को केवल और केवल न्यायिक प्रकिया के आधार पर ही बेदखल किया जा सकता है। अपीलार्थिया का मकान नम्बर 131 में निवास किसी भी प्रकार से अवैधानिक नहीं है। अधीनस्थ अधिकरण ने यह निष्कर्ष निकाल कर व अहम भूल की है कि सी आर पी सी एक्ट एवं माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण अधिनियम साथ–साथ नहीं चल सकते, जबकि अधिनियम 2007 के तहत ऐसी कोई वर्जना नही है, अपीलार्थिया सीनियर सिटीजन है और प्रत्यर्थीगण उसके सौतेले पुत्र एवं पुत्र वधु है। ऐसी सूरत में प्रार्थना पत्र को खारिज करने में अधीनस्थ अधिकरण ने भारी भूल की है कि नाबालिग के विरूद्ध अपीलार्थिया को कोई अनुतोष प्राप्त ही नहीं करना है और ना ही किया जा सकता है, केवल प्रार्थना पत्र में वर्णितानुसार पानी की टंकियों बाबत व डिश बाबत अनुतोष चाहा था जिसको कतई कन्सीडर नहीं किया और सरसरी तौर पर एक तरफा व मनमाने निष्कर्ष निकाल कर निर्णय पारित करने में भारी व अहम भूल की है। अधीनस्थ अधिकरण ने इस तथ्य पर कोई गौर नहीं किया कि पानी किसी भी व्यक्ति के दैनिक व जीवन के अधिकार हेतु अति आवश्यक तत्व है और मूलभूत अधिकार है । वर्तमान युग में डिश की सुविधा भी आवश्यक है, फिर भी इन बेसिक बातों को कन्सीडर नहीं कर अधीनस्थ अधिकरण ने मौजूद विवाद के इतर निर्णय पारित करने मे भारी भूल की

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ अधिकरण द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10.11.2022 को न्यायहित में अपास्त किया जाकर अपीलार्थिया को प्रार्थना पत्र व अपील में वर्णित अनुतोष प्रदान करने के आदेश फरमावें।

5. प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 ने उक्त तर्कों का खण्डन करते हुये दलील प्रस्तुत की कि अपीलार्थिया ने माननीय न्यायालय के समक्ष जो अपील प्रस्तुत की है वह भी अधिनियम का उल्लंघन कर आधारहीन तथ्यों के आधार पर पेश की है। अपीलार्थिया ने जिस सम्पत्ति पर प्रत्यर्थीगण के विरूद्व प्रार्थना पत्र पेश किया है उक्त सम्पत्ति पर प्रत्यर्थीगण का कोई स्वामित्व एवं हक अधिकार नहीं है । उक्त सम्पत्ति के नाबालिग जलज एवं आर्यन असल स्वामी एवं कब्जाधारी है। नाबालिग के विरूद्व उक्त अधिनियम के तहत कोई रिलीफ प्राप्त नही कर सकती एवं साथ ही नाबालिग आर्यन एवं जलज के नाम पर ही नल एवं बिजली के कनेक्शन है जिस पर भी अपीलार्थिया नाबालिग के उपर कोई भार उत्पन्न नही कर सकती है। अपीलार्थिया द्वारा जान बूझ कर वास्तविक तथ्यों को छिपाते हुए अधिनियम का उलल्घन कर विधि विरूद्व एवं दुर्भावना पूर्वक उक्त अपील पेश की है साथ ही माननीय महिला उत्पीडन न्यायालय के आदेश की लगातार अवमानना करती हुई आ रही है। अपीलार्थिया ने माननीय महिला उत्पीडन न्यायालय के आदेश दिनांक 28.01.2021 का माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष स्वयं ने अपील की है। जिसमें भी अपीलार्थिया को आज दिनांक तक कोई रिलीफ नहीं मिला है एवं मामला सब ज्यूडिस है। साथ ही यह तथ्य भी विधि के सिद्वान्तों के अनुरूप अत्यन्त महत्वपूर्ण एंव विधिवत है कि अपीलार्थिया प्रत्यर्थीगण के पिता जिनसे दिनांक 11.05.2014 को आर्य समाज में धोखाधडी पूर्वक विवाह किया था एवं विवाह उपरान्त प्रत्यर्थी के पिता से लाखों रूपया हड़प कर लिया एंव प्रत्यर्थीगण के पिता के द्वारा पारिवारिक न्यायालय में विवाह विच्छेद याचिका पेश की गई है, जो लम्बित है। अपीलार्थिया द्वारा प्रत्यर्थीगण एवं प्रत्यर्थीगण के पिता के विरूद्व घरेलू हिंसा धारा 12 का मुकदमा कर रखा है। जिसमें अपीलार्थिया भरण पोषण की राशि 5000/– रूपया प्रति माह प्राप्त कर रही है। साथ ही अन्यत्र रहवास हेतु 6000/–रूपये प्रति माह के आदेश भी पारित हैं एवं अपीलार्थिया स्वयं 15 से 20 हजार रूपये स्वयं की पेन्शन भी प्राप्त कर रही है । साथ ही अपीलार्थिया अपने पूर्व पति स्वर्गीय रमेश चन्द शर्मा की पेन्शन भी 51,698/– रूपये प्राप्त कर रही है। अपीलार्थिया द्वारा उक्त समस्त विधिक एवं महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपा कर अपील पेश की है। मकान नम्बर 131 शान्ति नगर, निर्माण नगर, श्याम नगर थाने के पास जयपुर की सम्पत्ति प्रत्यर्थीगण की नहीं है। अपीलार्थिया प्रत्यर्थीगण की माता भी नहीं है। अपीलार्थिया मात्र प्रत्यर्थी संख्या 1 के पिता की पत्नी है । प्रत्यर्थी संख्या 1 के पिता जीवित है और वह भरण पोषण की राशि अदा कर रहे है। अन्यत्र रहवास हेतु 6000/–रूपये के आदेश की पालना करने को विधिवत तैयार है। भरण पोषण की परिभाषा धारा 125 सी आर पी सी में पत्नी और बच्चों के लिए भरण पोषण एवं पत्नी को आवास उपलबध करवाने का आदेश और उसके हर्जे खर्चे समस्त धारा 125 सी आर पी सी में आता है । अपीलार्थिया पूर्व से ही प्रत्यर्थी संख्या 1 के पिता से भरण पोषण की राशि धारा 12 घरेलू हिंसा में महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के तहत लेती आ रही है। साथ ही प्रत्यर्थी व अपीलार्थिया कभी साथ नहीं रहे, ना ही प्रत्यर्थीगण अपीलार्थिया के परिवार जन है एवं अपीलार्थिया ने 125 सी आर पी सी का प्रत्यर्थीगण के पिता के विरूद्व अलग अलग माननीय पारिवारिक न्यायालय कम संख्या 4 में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रखा है और अपीलार्थिया द्वारा धारा 125 सी आर पी सी में भी प्रत्यर्थीगण के पिता से नल व बिजली के रूपये की मांग करके आ रही है। अपीलार्थिया का उद्वेश्य मात्र विधि का दुरूपयोग कर रूपया हड़पना रहा है । साथ ही

जिला मजिस्ट्रेट
(साउथ) जयपुर

नाबालिग के स्वामित्व के मकान पर गैर कानूनी रूप से जबरन कब्जा करने का प्रयास रहा है। माननीय विशिष्ठ न्यायालय महिला उत्पीडन कम 2, जयपुर महानगर जयपुर द्वारा दिनांक 28.01.221 को मकान नं.131 शान्ति नगर, निर्माण नगर, श्याम नगर थाने के पास जयपुर का भू तल खाली करने की दिनांक से प्रत्यर्थी संख्या 1 के पिता 6000/–रूपये प्रति माह वैकल्पिक आवसीय किराया राशि के रूप में अतिरिक्त देंगे । अपीलार्थिया के रिहायश हेतु जयपुर अथवा आगरा महानगरीय क्षेत्र में उचित स्थान पर दो बीचएचके फ्लेट उपलब्ध करवाकर उसकी सूचना रजिस्टर्ड डाक द्वारा अपीलार्थिया को देवें प्रत्यर्थी संख्या 1 के पति द्वारा कई मर्तबा फ्लैट में शिफ्ट होने की जरिये रजिस्टर्ड सूचना दी, परन्तु अपीलार्थिया जबरन कब्जा करने की नियत से उक्त मकान में रह रही है। सी आर पी सी एक्ट एवं माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण अधिनियम 2007 साथ–साथ नहीं चल सकते प्रत्यर्थीगण एवं उनके पिता को अपीलार्थिया द्वारा धारा 12 घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 में भी पक्षकार बना रखा है, साथ ही प्रत्यर्थीगण के पिता के विरूद्व 125 सी आर पी सी का प्रार्थना पत्र भी माननीय परिवारिक न्यायालय कम सें 4 में लम्बित है। मकान नम्बर 131 शान्ति नगर, निर्माण नगर, श्याम नगर थाने के पास, जयपुर नाबालिग जलज 16 वर्षीय एवं आर्यन 13 वर्षीय के स्वामित्व का मकान है एवं उक्त दोनों नाबालिग है जां उक्त मकान के असली मालिक एवं स्वामी है एवं उक्त मकान पर रहवास करते है । जबकि अपीलार्थिया जबरन बदनियति पूर्वक कब्जा करने के उद्वेश्य से उक्त नाबालिग के मकान पर रहवास कर रही है। अपीलार्थिया द्वारा साजिश के तहत प्रत्यर्थी संख्या 1 के पिता आगरा निवासी के साथ दिनाक 11.05.2014 को आर्य समाज में विवाह किया है । प्रत्यर्थी संख्या 1 के पिता से अपीलार्थिया ने लाखों रूपये हड़पने, प्रत्यर्थी संख्या 1 व उसके पिता को जान से मरवाने के लिए साजिशें रची । अपीलार्थिया आदतन धोखाधडी, कूटरचित दस्तावेजात निर्मित करने की आदतन अपराधी है। अपीलार्थिया को कई मुकदमों में सजा भी हुई है और 4 बार न्यायिक अभिरक्षा में रह कर आई है । साथ ही अपीलार्थिया के विरूद्व 15–12 मुकदमें न्यायालयों में लम्बित है। अपीलार्थिया द्वारा निरन्तर आपराधिक कृत्य परिसर में किये जा रहे है जिसके चलते अपीलार्थिया को दिनांक 29.01.2020 एवं दिनांक 05.01.2023 को कार्यपालक मजिस्ट्रेट एवं अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय) जयपुर दक्षिण द्वारा दोपसिद्व करते हुए 6 माह के लिए पावन्द किया गया है। अपीलार्थिया के विरूद्व लम्बित मुकदमों की सूची अलग से अवलोकनार्थ प्रस्तुत है। घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम की धारा 12 में अपीलेट न्यायालय विशिष्ठ न्यायाधीश (महिला उत्पीडन) जयपुर महानगर द्वितीय जयपुर आदेश दिनांक 28.01.2021 को अपीलार्थी को मकान नम्बर,131 शान्ति नगर, निर्माण नगर, श्याम नगर थाने के पास, जयपुर को खाली कर अन्यत्र फ्लेट में शिफ्ट होने के आदेश पारित किये गये जिसके विरूद्व अपीलार्थिया द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष पिटीशन संख्या 4035/2021 एवं 4053/2021 अन्तर्गत धारा 482 सी आर पी सी में लगाई, जो लम्बित है। अपीलार्थिया को आज दिनांक तक माननीय उच्च न्यायालय से कोई रिलीफ नहीं मिला है। अपीलार्थिया को उक्त मकान खाली करने में सक्षम न्यायालय द्वारा दिनांक 28.01.2021 में न्यायिक आदेश पूर्व में ही किये जा चुके है जो विचारण न्यायालय में लम्बित है। मकान नं.131 शान्ति नगर, निर्माण नगर, श्याम नगर थाने के पास, जयपुर के असल मालिक स्वामी एवं कब्जाधारी नाबालिग जलज 16 वर्षीय एवं आर्यन 13 वर्षीय है। अपीलार्थिया एवं प्रत्यर्थीगण का उक्त सम्पत्ति पर विधिक रूप से कोई हक व अधिकार नहीं है। प्रत्यथी संख्या 2 नाबालिग की संरक्षिता है। जब तक दोनों बालिग ना हो तब तक धारा 08 हिन्दू अप्राप्तवय एवं सरंक्षज्ञकता अधिनियम के अनुसार किसी नाबालिग की सम्पत्ति संरक्षक द्वारा ना तो अंतरित की जा

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

सकती है एवं ना ही उस पर भार स्थापित किया जा सकता है। अपीलार्थिया द्वारा बदनियति पूर्वक उक्त मकान के असल स्वामी एवं कब्जाधारी को उक्त प्रार्थना पत्र में गौण कर वास्तविक विधिक स्थिति को छुपा कर आई है। तव अपीलार्थिया को सक्षम न्यायालय द्वारा उक्त मकान को खाली कर अन्यत्र शिफ्ट होने के अपीलेट कोर्ट के न्यायिक आदेश है, तो अपीलार्थिया को उक्त प्लाट पर रहने एवं नाबालिग के स्वामित्व के प्लाट पर नल बिजली का उपयोग उपभोग कर भार उत्पन्न नहीं कर सकती है। अपीलार्थिया जबरन कब्जा करने की नियत से यहां रहने आई है, साथ ही न्यायिक आदेश की लगातार अवमानना कर विधि विरूद्व कृत्य कारित कर रही है। अपीलार्थिया ने प्रत्यर्थी संख्या 1 से उक्त प्रार्थना पत्र में नल व बिजली के उपयोग उपभोग बाबत जो अंतरिम आदेश मांगा है, वह सिरे से उक्त नाबालिग की सम्पत्ति पर विधि विरूद्व जाकर कानूनी प्रकिया का दुरूपयोग करने के उद्वेश्य से बद मानसिकता को रखते हुए उक्त एक्ट का दुरूपयोग किया है। अपीलार्थिया को नाबालिग के मकान पर विधि विरूद्व जाकर कोई भी भार या उपयोग उपभोग स्वयं या अन्य किसी भी व्यक्ति द्वारा स्थापित नहीं करवा सकती है। अपीलार्थिया ने प्रत्यर्थी संख्या 1 के पिता के विरूद्व कई मुकदमें दर्ज कर रखे है जो न्यायालयों में लम्बित है। प्रत्यर्थी संख्या 1 के पिता श्री सुरेश शर्मा अपने नाबालिग पौत्रों जलज 13 वर्षीय एवं आर्यन 16 वर्षीय के भविष्य को देखते हुये उक्त मकान जरिये रजिस्टर्ड गिफ्ट डीड दिनांक 15.12.2019 के जरिये दान कर दिया। धारा 123 सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम के अनुसार कोई अचल सम्पत्ति किसी व्यक्ति द्वारा जरिये लिखित व रजिस्टर्ड हस्तान्तण पत्र दो गवाहो के समक्ष दान कर दी गई हो तो ऐसे दान को प्रति संहारित नहीं किया जा सकता है। वर्तमान में उक्त पंजीकृत दान पत्र अस्तित्व में है। अपीलार्थिया द्वारा प्रत्यर्थीगण के विरूद्व मात्र बदनियती पूर्वक वास्तविक तथ्यों को छुपा कर यह अपील पेश की गई है। अपीलार्थिया का प्रथम विवाह स्व॰ रमेश चन्द शर्मा से हुआ था जिनका दिनांक 02.05.2006 को निधन होना अपीलार्थिया बता रही है। अपीलार्थिया स्वयं स्वर्गीय रमेश चन्द शर्मा जो कि राजकीय सेवा में थे और उनकी प्रतिमाह 51,698/–रूपये पेन्शन लेती आ रही है । साथ ही अपीलार्थिया स्वयं भी राजकीय अध्यापिका के पद से सेवा निवृत्त है, जिसे भी प्रति महा 20 से 25 हजार रूपये पेन्शन प्राप्त हो रही है । प्रत्यर्थीगण के पिता से 50000/–रूपये प्रति माह भरण पोषण प्राप्त कर रही है एवं अन्यत्र रहवास हेतु 6000/–रूपये प्रति महा के आदेश पारित है। प्रत्यर्थी संख्या 1 पीडित एवं लाचार व्यक्ति है जिसकी आय का कोई जरिया नहीं है । प्रत्यर्थी संख्या 1 गम्भीर बीमारियों से घिरा हुआ है। जो काम करने एवं ज्यादा मानसिक पीडा सहन करने में असमर्थ है। जिसका ईलाज भी चल रहा है प्रत्यर्थी संख्या 1 बेरोजगार है जिसकी आय का कोई जरिया नहीं है । प्रत्यर्थी संख्या 2 गृहणी महिला है जो किसी प्रकार की कोई आय अर्जित नहीं करती है। अपीलार्थिया उक्त मकान के ग्राउण्ड फ्लोर पर जबरन कब्जा करके विधि विरूद्व एवं आपराधिक कृत्य कारित कर रही है। अपीलार्थिया के यहां रात को दो–तीन बजे तक लोग आते जाते रहते है । अपीलार्थिया तांत्रिकों एवं जादू टोने वालों को रातों को बुला कर घर में रखती है, यहां तक कि अपीलार्थिया प्रत्यर्थीगण एवं उनके नाबालिग पुत्र एवं नाबालिग पुत्री को डराने धमकाने के उद्वेश्य से लोगों को बुलाती है एवं उन्हें दारू पिलाती है और जो लोग प्रत्यर्थीगण एवं तीनों नाबालिग बच्चों के साथ गाली गलौच एवं जान से मरवाने की धमकी देते है। अपीलार्थिया जब भी घर से बाहर जाती है, पीछे से अपने दारू पीने वाले मित्रों एवं अनजान व्यक्तियों को मकान में ठहरा कर रखती है, जिससे बच्चे डरे एवं सहमें रहते है। बच्चें को स्कूल जाने में भी डर लगता है, उन्हें हर वक्त जान माल का खतरा बना रहता है। कई मर्तबा पुलिस को भी मौके पर बुलाया गया है। अपीलार्थिया को दो बार इसके लिए

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

न्यायालय द्वारा पाबन्द भी किया गया है। उक्त सभी कृत्यों की फुटेज एवं वीडियों सी सी टी वी कैमरे के प्रत्यर्थीगण के पास मौजूद है, जो अवलोकनार्थ प्रस्तुत है। अतः अपीलार्थिया की अपील खारिज किये जाने के आदेश फरमावें

6. उभय पक्ष की ओर से की गई बहस को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं मिसल मातहत का भलीभांति अवलोकन एवं अध्ययन किया गया।

7. अपीलार्थिया ने मकान नं॰ 131, शान्ति नगर, निर्माण नगर, श्याम नगर थाने के पास, जयपुर के ग्राउण्ड फ्लोर पर निवास करने का कथन करते हुये उक्त मकान में पानी की टंकियों से निर्बाध रूप से पानी की सप्लाई एवं टाटा स्काई डिश को व्यवस्थित व दुरूस्त करने एवं उक्त मकान के उपभोग उपयोग में बाधा नहीं डालने व जबरन बेदखल नहीं करने का अनुतोष चाहा है। प्रत्यर्थी संख्या 1 के पिता सुरेश शर्मा से जरिये पंजीकृत गिफ्ट डीड दिनांक 05.12.2019 को उक्त मकान नाबालिग पौत्र व पौत्री जलज व आर्यन को प्राप्त हुआ है। गिफ्ट डीड को कहीं भी चुनौति नहीं दी गई है। नाबालिग की सम्पत्ति पर कोई भी भार या उपयोग उपभोग किसी द्वारा स्थापित नहीं कराया जा सकता है। विवादित मकान न तो प्रत्यर्थीगण के नाम है और ना ही अपीलार्थिया के पति के नाम है। इसलिए अपीलार्थिया उक्त मकान पर किसी प्रकार का हक व अधिकार नहीं रखती है। अपीलार्थिया का प्रथम विवाह रमेश चन्द शर्मा से हुआ था जिनकी मृत्यु के उपरान्त उनकी पेन्शन राशि एवं अपीलार्थिया अध्यापिका के पद से सेवा निवृत्त होने पर स्वयं की पेन्शन प्राप्त हो रही है। इसके अतिरिक्त अपीलार्थिया के दूसरे पति सुरेश शर्मा से 5000/–बतौर भरण पोषण राशि प्राप्त हो रही है। अपीलार्थिया व उसके पति के मध्य कई सिविल न्यायालयों में प्रकरण लम्बित है। माननीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश (महिला उत्पीड़न प्रकरण) जयपुर महानगर द्वितीय द्वारा आदेश दिनांक 28.01.2021 से घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत आदेश पारित किया गया जाकर अपीलार्थिया के पति श्री सुरेश शर्मा को निर्देशित किया गया है कि " वह प्रार्थिया के रिहायश हेतु जयपुर अथवा आगरा महानगरीय क्षेत्र में उचित स्थान पर दो बीएचके का अन्य मकान/फ्लेट उपलब्ध करवा कर उसकी सूचना रजिस्टर्ड डाक द्वारा प्रार्थिया को देवे। अप्रार्थी सुरेश द्वारा उक्त कार्यवाही नहीं करने या प्रार्थिया को प्रस्तावित मकान/फ्लेट पसंद नहीं आने पर वह भूखण्ड संख्या 131 शान्ति नगर, निर्माण नगर, जयपुर का भूतल खाली करने की दिनांक से अप्रार्थी संख्या 1 से 6000/–प्रतिमाह वैकल्पिक आवासीय किराया राशि के रूप में अतिरिक्त दौराने प्रार्थना पत्र प्राप्त करेगी। " इस प्रकार माननीय सिविल न्यायालय द्वारा भूखण्ड संख्या 131 को खाली करने की दिनांक से अपीलार्थिया को 6000/–रूपये दिये जाने के आदेश पारित किये गये है। अधीनस्थ अधिकरण द्वारा उक्त तथ्यों के आधारों पर ही अपीलार्थिया का प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया गया है, जो उचित है जिसमें हम किसी प्रकार की त्रुटि नहीं पाते है। अपीलार्थिया द्वारा चाहा गया अनुतोष स्वीकार योग्य नहीं है। फलस्वरूप अपील खारिज की जाती है।

8. आदेश की प्रति हस्ब कायदा धारा 16(7) के तहत उभय पक्षकारान को निः शुल्क भेजी जावे। आदेश की प्रति मय मिसल मातहत माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिको का भरण पोषण एवं कल्याण अधिकरण उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर फैसल शुमार हो।

9. निर्णय आज दिनांक **27.02.2023** को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर